राजस्व अपील सं. 2024/206

नेमकंवर वगैरा बनाम ओबसिंह वगैरा अपील U/S. 75 L.R.A 1956.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
26/06/24	अपीलांट व उनके वकील श्री अमृत परिहार उप. अपीलांट ने उक्त अपील ग्राम कुमटिया के नामांतरणकरण सं. 264 स्वीकृति दिनांक 20/4/2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की। प्रस्तुत अपील में वर्णित रेस्पोंडेन्ट ओबसिंह व रेस्पोंडेन्ट्स सं. 02 सरपंच ग्राम पंचायत कुमटिया की ओर से वकील श्री जयकिशोर लखारा ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोंडेंट स्वयं भी व्यक्तिश: उपस्थित। दोनों पक्षों में हस्ताक्षर युक्त राजीनामा पेश कर अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। उपस्थित अपीलार्थी नेमकुंवर की पहचान उनके अधिवक्ता श्री अमृत परिहार द्वारा की गई तथा उपस्थित रेस्पोंडेंट सं. 01. की पहचान उनके अधिवक्ता श्री जयकिशोर लखारा द्वारा की गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन के पश्चात अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है। ग्राम कुमटिया स्थित भूमि खसरा नंबर 104, 112, 113, 159, 189, 197, 203, 99 कुल क्षेत्रफल 1.81 हेक्टेयर के 1/4 हिस्सा के सहखातेदार दौलतसिंह पुत्र रावतसिंह के देहांत के बाद दाखिल व स्वीकृत नामांतरणकरण सं. 264 निरस्त किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध नामांतरणकरण की सत्यापित प्रति पत्र के संलग्न तहसीलदार बाली को भिजवायी जाकर	[fingerprint] नेमकुंवर ओबसिंह [signature] [signature]

3

P.T.O.

तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

निर्देश दिये जाते है कि स्वर्गीय दौलतसिंह पुत्र रावतसिंह राजपूत निवासी कुमटिया के वारिसान अपीलार्थी एवं रेस्पोंडेंट्स के नाम नियमानुसार सही नाम से नये सिरे से नामांतरण करण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सेवामें

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली